बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका

(राज्य स्तरीय नियोजन बैठक उत्तर प्रदेश)
सी.एच.एस.जे. एवं मैसवा की संयुक्त पहल
दिनांक 23 सितम्बर 2012 स्थान : सहयोग कार्यालय, लखनऊ

मैसवा (मेन्स एक्शन फॉर स्टापिंग वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन) की शुरुआत वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश में इस आशय से की गई थी कि महिला हिंसा और जेण्डर समानता के मुद्दे पर पुरुषों की पहल सुनिश्चित की जाए। मैसवा को शुरु करने का आधार भारत में नारीवादी आन्दोलन के अनुभव से जुड़ा है जिनके लम्बे कार्यों का अनुभव ये बताता है कि "महिला हिंसा पुरुष के द्वारा होती है पर सारे पुरुष हिंसक नहीं होते। सारे पुरुष हिंसा के समर्थक नहीं होते"। इन्हीं अनुभव ने मैसवा को शुरु करने की प्रेरणा दी।

मैसवा ने 2002 से 2012 की यात्रा में महिला हिंसा के विरुद्ध, जेण्डर समानता के उद्देश्य से बहुत सारे अभियान, यात्रा, प्रशिक्षण, संवाद आदि का आयोजन कर उपरोक्त मुद्दों पर संवेदित पुरुषों को इन मुद्दों को संवोधित करने की ओर प्रेरित किया। मैसवा ने घरेलू हिंसा कानून को बनाने से लेकर लागू करने के लिए भी दखल दिया और वैश्विक स्तर पर मैसवा की पहचान भी बनी। मैसवा के अनुभवों को जोड़ते हुए सी.एच.एस.जे. ने कई तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किये जिनसे पुरुषों के अन्दर सोच और व्यवहार में बदलाव के जरिए महिला हिंसा, जेण्डर समानता और स्वास्थ्य अधिकारों तक वंचित महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की है।

इसी क्रम में सेण्टर फार हेल्थ एण्ड शोसल जस्टिस (सी.एच.एस.जे.) के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिकाओं को केन्द्रित कर पहल की संकल्पना की है। यह पहल परियोजना के तर्ज पर नहीं बल्कि साझेदारीपूर्ण अभियान पर केन्द्रित है जिसके प्रथम चरण में भारत के चार प्रान्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में अभियान को उभारने की कोशिश की जा रही है। यह अभियान राज्य स्तरीय गठबन्धनों के माध्यम एवं स्वामित्व से चलाए जाने की संकल्पना की गई है।

उत्तर प्रदेश में चूंकि मैसवा एक फोरम के रूप में क्रियाशील है और पुरुषों के साथ पहल के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है और "फादर्स केयर" से जुड़े अभियान को आगे ले जाने के लिए सहमति बनी है अतः यह नियोजन बैठक की गई।

नियोजन बैठक के पूर्व में "मैसवा" कोर टीम की पिछली तीन बैठकों में मैसवा की मजबूती और आगे की रणनीति की जो दिशा उभरकर सामने आई उसमें पुरुषों की केयरिंग रोल को लेकर भविष्य के कार्य को तय किया गया था और ये तय किया गया था कि मैसवा के अन्य अभियान और कार्यों के साथ फादर्स केयर कैम्पेन को उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में विभिन्न समूहों/संगठनों की साझेदारी से चलाया जायेगा। बृहद चर्चा के लिए सितम्बर माह की 22 तारीख को राज्य स्तरीय परामर्श के लिए तथा अन्य और क्षमता सम्वर्द्धन कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे।

मैसवा के संस्थापकों की उपस्थिति और गहन चर्चा को दृष्टिगत करके राज्य स्तरीय परामर्श की जगह राज्य स्तरीय नियोजन बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2012 को लखनऊ में किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

कुल प्रतिभागी :
उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 19 प्रतिनिधि जिसमें मैसवा कोर टीम के लोग शामिल हैं के साथ–साथ सी.एस.एच.जे. से तीन तथा सहयोग से दो प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 24 लोगों की साझेदारी से नियोजन बैठक की गई।
नियोजन बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार रही :
पंजीकरण, स्वागत एवं आपसी परिचय :
प्रतिभागियों के पंजीकरण के उपरान्त मैसवा उत्तर प्रदेश की ओर से श्री राजदेव जी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और मैसवा के उद्भव, औचित्य और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मैसवा के केयरिंग रोल को लेकर अभियान के लिए जिला फोरम के प्रतिनिधियों का आह्वान किया। मैसवा की पिछली कोर टीम बैठकों जिनमें 21

जुलाई 2012 की लखनऊ में हुई बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैसवा कभी–भी परियोजना आधारित कार्यक्रम नहीं किया है और न ये पंजीकृत संस्था है अतः विभिन्न अभियानों का संचालन आपसी सहयोग और अलग–अलग संस्थाओं जिनमें सहयोग और सी.एस.एच.जे. प्रमुख हैं के साथ जुड़कर किया गया है। अभी जब मैसवा की भविष्य की रणनीति पुरुषों की केयरिंग रोल को लेकर तय की गई है हमने सी.एस.एच.जे. के साथ मिलकर फादर्स केयर कैम्पेन को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में मैसवा के जिला फोरम को आमन्त्रित किया है। हम लोग इस बैठक में पुरुषों की केयरिंग रोल में भूमिका पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे।

इसके पश्चात प्रतिभागियों का आपसी परिचय हुआ और नियोजन बैठक के उद्देश्य, पुरुषों के साथ पहल के इतिहास और फादर्स केयर के बारे में जानकारियों को श्री सतीश सिंह एवं श्री राजदेव जी ने संयुक्त रूप से साझा किया। पुरुषों के साथ जेण्डर समानता और महिला हिंसा के मुद्दे पर पहल का संक्षेप तथा मैसवा की पिछली तीन बैठकों का जिक्र करते हुए राजदेव जी ने नियोजन बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया जो निम्नानुसार थे –

नियोजन बैठक के उद्देश्य :

- मैसवा कोर टीम की पिछली बैठकों की समीक्षा करना और आगे की दिशा और रणनीति की दिशा में आये सुझावों, फैसलों और आवश्यकताओं को साझा करना।
- उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों, वर्तमान में होने वाली पहलों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना और बाल अधिकारों के मुद्दों का प्राथमिकीकरण करना जिनपर पुरुषों की पहल के जरिये एक अभियान खड़ा किया जा सकता है।
- इस अभियान और उससे जुड़ी गतिविधियों का नियोजन करना।
- इन गतिविधियों को मजबूती से संचालित करने के लिए ढ़ाँचा और समन्वयन के स्वरुप चर्चा करना।

इन उद्देश्यों के क्रम में ही, सी.एस.एच.जे. द्वारा संकलित फिल्म "वी कैन" देखी गई जिसमें सी.एस.एच.जे. द्वारा महाराष्ट्र में जेण्डर समानता एवं महिला स्वास्थ्य अधिकारों पर पुरुषों के साथ पहल से आये पुरुषों में बदलाव की 5 घटनाओं को संकलित किया गया है।

फिल्म पर चर्चा करते हुए राजदेव जी ने साझा किया कि महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा का मुद्दा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे समाज का सरोकार होना चाहिए। जेण्डर समानता और महिला हिंसा के मुद्दों पर पुरुषों को भी कुछ करना चाहिए। इसको केन्द्रित कर चर्चाओं से मैसवा का उद्‌भव हुआ। जैसा कि हमने अभी फिल्म में देखा कि अगर पुरुष सकारात्मक रूप से प्रयास करे तो बदलाव आ सकते हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा पुरुष करता है और अगर पुरुष अपने अन्दर बदलाव लाये तो महिला हिंसा को कम किया जा सकता है। पुरुषों का संवेदनशील होना, पुरुषों का निजी जिन्दगी में, अपनी परिवारिक जिन्दगी में बदलाव ले आना इन सारी बातों के मध्यनजर मैसवा की शुरुआत की गई। मैसवा ने उपरोक्त को केन्द्रित कर चुप्पी तोड़ो – हिंसा रोको, अब तो जागो आदि अभियान चलाये, कार्यकर्ताओं के साथ क्षमता सम्वर्द्धन और जागरुकता कार्यक्रमों के जरिये मर्दानगी, यौनिकता, महिला स्वास्थ्य, महिला समानता और मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में इन सारे मुद्दों को देखने का नज़रिया बदलने में अपनी भूमिकायें की। कई जगह युनिवर्सिटी और कालेज में छात्रों के साथ काम किये गये, मीडिया और शासन को जोड़ने की कोशिश की गई और इन सबसे सकारात्मक बदलाव आया।

अभी हम यहां पुरुषों में जिम्मेदार पिता के रूप में सकारात्मक बदलाव के जरिये बाल अधिकार संरक्षण पर केन्द्रित कर चर्चा करने और रणनीति बनाने तथा नियोजन करने के लिए बैठे हैं। हम एक बात यहां पुनः जोड़ना चाहते हैं कि मैसवा या बाल संरक्षण का अभियान कोई परियोजना के तर्ज पर चलने वाला कार्यक्रम नहीं है यह उस तरह का नेटवर्क भी नहीं है जो परियोजना चलाते हैं और पैसे बाँटते हैं।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सतीश जी ने कहा कि महिला हिंसा के मुद्दे पर जेण्डर समानता के मुद्दों पर महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करने का काम या सरकार से हकों की बात करने की प्रक्रियायें आम थी जिनके बीच मैसवा का उदय इस मुद्दे पर पुरुष कहां खड़ें हैं, पुरुष इस तरह के मुद्दे में कहां भूमिका कर सकता है या सहभागी बन सकता है इसको केन्द्रित कर मैसवा ने अपनी गतिविधियों को चलाया। मुद्दा यह जुड़ा था और जुड़ा है कि हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं पर हम परिवार में महिला सशक्तिकरण को कितना इज्जत

देते हैं? हम अपनी बेटी के सशक्तीकरण की कितनी जगह देते हैं? हम कितनी छूट देते हैं? हम अपने स्टाफ में जितनी महिलायें है उनके अधिकारों की हम कितनी परवाह करते हैं? उनका यौन शोषण तो नहीं हो रहा है? इस पर हम कितना चिन्तन करते हैं? मैसवा में तीन तरह के मूल्य स्थापित हैं वे हैं कि –

- हम खुद हिंसा नहीं करेंगे।
- दूसरा था कि हम दूसरों को समझायेंगे कि आप (पुरुष) महिलाओं के प्रति हिंसा को दूर करने के लिए खड़े होगें।
- तीसरा था कि हम महिला हिंसा की घटनाओं में अपना पक्ष रखेंगे। यानी हम चुप नहीं बैठेंगे। साथ–साथ हम लोगों को बतायेंगे कि हम महिला हिंसा के खिलाफ हैं।

इन मूल्यों ने मैसवा के काम को बढ़ाया। हम यह भी साथ–साथ सीखने की कोशिश कर रहे थे कि परिवार में, संस्थानों में, समुदाय में, सत्ता का स्वरुप क्या है? सत्ता कैसे असमानता, और अधिकारों की रंचना से जुड़ा है? यह भी तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि गैर बराबरी दूर करने में हम कहां खड़े हैं और हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? मैसवा घर के अन्दर की हिंसा, समाज में जाति, धर्म या जेण्डर आधारित हिंसा को मानवाधिकारों की जद में देखने, समझने और समझाने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सोचों और कार्यों के आधार पर मैसवा वैश्विक स्तर पर, दक्षिण एशिया के स्तर पर पुरुषों के साथ काम करने के लिए जो संगठन बने उसमें संजीदा भागीदार हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

मैसवा ने विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से संसाधन समूह विकसित किये और विभिन्न राज्यों में जेण्डर समानता, महिला हिंसा या महिला अधिकार के मुद्दों पर प्रशिक्षणों में संदर्भ व्यक्ति दिये और बदलाव की दिशा में प्रभावी भूमिकायें की हैं।

विभिन्न हस्तक्षेपों और नेटवर्कों के अनुभवों को मैसवा अपनी सीख में जोड़ता है और अपने समूह में साझा करता है। इन्हीं सीखों को जोड़ते हुए मैसवा की अगली रणनीति के रूप में पुरुषों की केयरिंग रोल में भूमिकाओं को आगे लाने की कोशिश को देख रहा है। मैसवा कि पिछली 3–4 बैठकों में लिये गये निर्णयों का सार यह है कि मैसवा –

- पुरुषों की केयरिंग रोल को केन्द्र में रखकर अभियान करेगा और अपने अन्य मुद्दों को भी तय करेगा।
- मैसवा का समन्वयन (कोआर्डिनेसन) क्षेत्रीय (रीजनल) होगा और उसको बाँधने का काम सी.एस.एच.जे. करेगा।
- केयरिंग रोल को अगर हम व्यापक रूप से परिभाषित करें तो मैसवा पुरुषों की पिता के रूप में भमिकाओं को उभारकर जेण्डर समानता और बाल अधिकार संरक्षण के मुद्दे पर काम करेगा और इस मुद्दे पर सी.एच. एस.जे. द्वारा उप्रेरित फादर्स केयर राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा रहेगा।

मैसवा, राष्ट्रीय अभियान का उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ कुछ बातें समझना और नियोजन में ध्यान देना जरुरी होगा कि –

- सिर्फ केयरिंग की बात करेगा या अन्य मुद्दों को प्लान करेगा?
- सभी राज्यों के संदर्भ/परिस्थिति थोड़ा भिन्न है और यहां जब हम अगले अभियान को तीन उपक्षेत्रों, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और इलाहाबाद रीजन के रूप में देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और तीनों उपक्षेत्रों की परिस्थति और संदर्भों को देखना होगा जिससे मजबूत नियोजन हो सके?
- परियोजना चलाना मुख्य कार्य नहीं है मैसवा का काम कैसे मजबूत करें यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नेटवर्क मजबूत नहीं हो रहा है तो वहां हम काम नहीं करेंगे।
- मैसवा से अपेक्षायें ज्यादा हैं क्योंकि यह अन्य राज्यों को भी दिशा देगा।

राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जा रही है कि विभिन्न अधिकारों पर और पुरुषों के साथ पहल में जुड़े फोरम/संगठन, नारीवादी संगठनों के बीच तालमेल बनाया जाये और पुरुषों के साथ काम करने वाले नेटवर्क को मजबूती दी जाये परन्तु नेटवर्क के लिए कोई सहायता जुटाई नहीं जा सकती अतः केयरिंग रोल को फोकस कर रहे हैं इनको ध्यान में रखकर –

- बाल अधिकारों पर काम करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संदर्भ समूह (रिसोर्स ग्रुप) विकसित करने।
- सूचनाओं का आदान–प्रदान सी.एस.एच.जे. सचिवालय की भूमिका में है अतः राज्य के निर्देशों/अनुभवों को जोड़ते हुए अपने काम का निर्धारण करेगा।
- राज्यों में जो काम जेंडर समानता और बाल अधिकारों को लेकर किये जायेगें उनको मजबूत करने के लिए आवश्यकतानुसार काम किया जायेगा।
- अनुभवों को इकट्ठा करना एवं प्रसार करना, क्षमता सम्वर्द्धन एवं राज्य स्तरीय नेटवर्क को गाँव–मुहल्ले में सघन अभियान चलाकर संयुक्त आवाज बनाने के लिए काम की जरुरत है।
- यह भी सोचने की जरुरत है कि ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थाओं जैसे पंचायत क्यों नहीं सोचता कि बच्चियाँ स्कूल जायें? स्कूलों में शौचालय नहीं होने, शौचालय संयुक्त होने और या शौचालय में पानी या दरवाजा न होने की दशा में लड़कियाँ जैविकीय पीरयडस में स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनको साफ–सफाई की जगह नहीं होती है। इसका ध्यान कौन रखेगा?
- पंचायत, परिवार, समुदाय स्तर पर काम तय करना होगा?
- यहाँ 20 जिलों के जिला फोरम का प्रतिनिधित्व है यह नियोजन होने की जरुरत है कि कितने गाँव में काम करेंगे?
- अभी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्या कर सकते हैं? उनका नियोजन करना होगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता सम्बर्द्धन दिनांक 27–29 अक्टूबर तय किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश/मैसवा की ओर से किनकी भागीदारी होगी तय किया जाना है।

फादर केयर पर उत्तर प्रदेश में संभावना और इस मुद्दे पर चर्चा के साथ तालमेल/जुड़ाव :

डा0 अभिजित, सी.एच.एस.जे.

पुरुषों के साथ इच्छा शक्ति के आधार पर मैसवा को शुरू किया गया था। सोचा गया, कि पुरुष को परिवर्तित होना चाहिए। इससे महिलाओं का हित है। परन्तु कार्य से जो सीख मिली उससे समझ में आया कि महिला का भला हो या न हो पर पुरुष को बहुत फायदे होते हैं। पुरुष दबंग है, सत्तासीन है, हिंसक है यही नकारात्मक धारणा पुरुष के बारे में स्थापित है। पुरुष से उम्मीद है कि वह रक्षक है अतः रक्षा का कार्य करे, भरण पोषाण करे बाहरी दुनिया से रिश्ते को बनाये रखे। बच्चों का लालन–पालन भी इस तरह से होता है जिसमें लड़कियाँ इसी तरह की अपेक्षा करती हैं। सवाल ये है कि पुरुष तो महिला के भले के लिए काम करे पर उसका क्या भला होगा ? यह एक बड़ा सवाल था और है भी। इसका उत्तर साथियों के बीच ही मिला। यहां हम दुनियां के अनुभव को साझा करना चाहते हैं। पुरुष की बदनाम छवि दबंग, हिंसक, सत्तासीन आदि जो बनी है उस ढांचे के समर्थक सभी पुरुष नहीं है। दुख की बात यह है कि वो अपने को अलग साबित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। बाहर की दुनियां से सम्पर्क बनाये रखते हैं पर व्यक्तिगत रिश्तों के साथ इसका प्रभाव विपरीत बना हुआ है। यह कहा जाता है कि रिश्तों में सुख–दुख बांटा जाना चाहिए, पर सत्ता को बनाये रखने के लिए दुख नहीं बांटे जाते। बराबरी में मधुरता हो सकती है। कमजोरी को स्वीकार करके भी हम आगे जा सकते हैं। पर इस झटके को स्वीकार करने की अंदरूनी ताकत हमारे पास नही है। पुरुष को हारने के लिए दुनियाँ के सामने तैयार नहीं किया गया है। खोखली ताकत बनता रहता है। जेण्डर समानता या समानता की दिशा में परिवर्तनों के कारण सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुष को भी फायदे हो सकते हैं। रिश्तों की प्रगाढ़ता बढ़ती है। पत्नी के साथ भी रिश्ते मजबूत होते हैं। जो दबंगई और सत्ता की चमक के कारण उनके वास्तविक दोस्त नहीं बन पाते।

इस काम में व्यक्तिगत जिंदगी में रिश्तो में परिवार के बीच संबंधों को मजबूत करें तो समाज के बीच बदलाव हो जाएगा। से सीख थी पर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं समाज को ठीक करने की सोचते है पर स्वयं और स्वयं के घर में बदलाव लाये तो उतना भी बहुत है। इसी तरह बाल असुरक्षा के मुद्दे को अगर देखें तो घर और समाज दोनों जगहों पर बच्चों को असुरक्षा है, बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। बच्चे बाल यौन हिंसा के शिकार हो रहे

हैं और बाल श्रम में जुड़े है। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव के लिए घर के अंदर से ही शुरूआत करनी होगी। बच्चों को स्वतंत्र और मजबूत करने की बात सोचें तो हर बच्चे को फायदा होने लगेगा। हम अपने परिवार में पड़ोस में बदलाव लाने की कोशिश करें तो बहुत फर्क आ जायेगा।

आज परिवार की संरचना बदल रही है। एकल परिवार बन रहे हैं। वहाँ दादा का प्यार भी नहीं है। पाया गया है कि पिता के साथ बच्चों का संबंध तनावपूर्ण है पर दादा से प्यार भरा वातावरण मिलता है। बाप की परिस्थिति में बच्चों के साथ अनुशासन और परवरिश का मुद्दा जुड़ा है। अनुशासन और परवरिश दोनों में केयर कहा जाता है। परंतु इस चिन्ता से दादा मुक्त रहता है अतः संवेदनात्मक परवरिश दादा के साथ जुड़ता है।

सवाल ये है कि क्या लाड का रिश्ता बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए बाप का ? समाज में पुरुष के अंदर कोमलता को हटा दिया गया है। क्या कोमलता दिखाने का अधिकार (बच्चों के साथ) पुरुषों को नहीं है ? एकल परिवार के ढ़ाचे में पिता से अगर कोमलता नहीं मिलेगी तो वो कहां प्यार तलाशने जायेगे। देखा गया है कि जिन बच्चों को लाड प्यार नहीं मिला परिवार से ज्यादातर वे ही बच्चे आगे चलकर हिंसक हुये हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में रोना भी जरूरी है पर ये ढाँचा पुरुषों को खुलकर रोने की इजाजत भी नहीं देता जो जो विकारों को ही जन्म देते हैं। बदली हुई संरचना में अगर बाप बच्चों के साथ संवेदनात्मक जगह नहीं देगा तो दिक्कतें आयेगी।

मुझे लगता है कि अगर घर में ही हम मौका देते है हारने के लिए रोने के लिए संवेदनात्मक अभिभावकत्व के लिए तो हिंसा के माहौल को घटाया जा सकता है। इससे सिर्फ पुरुषों को ही नहीं अगली पीढ़ी तक फायदा पहुँचायेगा। सवाल ये है कि इसको कैसे प्रभावी संदेश बनाया जाए इस पर नियेाजन किया जाए।

उत्तर प्रदेश में बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्देः

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त पूरे प्रतिभागियों को क्षेत्रवार समूहों पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड एवं इलाहबार–प्रतापगढ़ परिक्षेत्र में बाल अधिकारों के विभिन्न मुद्दों और परिस्थितियों पर समूह चर्चा के लिए बाँटा गया।

समूह चर्चा को शुरू करने के पहले समूहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.सी.) के आधार पर चार ग्रिड –

- उत्तर जीविता का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

इन चारों अधिकारों पर वीरेन्द्र राय ने चर्चा की। इन चारों अधिकारों के साथ गैर विभेद (नानडिस्क्रीमिनेसन) को जोड़कर देखे जाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

उपरोक्त चर्चाओं, यू.एन.सी.आर.सी. के तहत बाल अधिकारों के दिशा निर्देशक तथ्यों को सामने रखकर तीनों समूहों में करीब 2 घंटे की वैचारिक साझेदारी रही। समूहों की रिपोर्ट को बड़े समूह में प्रस्तुति की गईः

बुन्देलखण्डः

- बुन्देलखण्ड में बच्चे ज्यादा संख्या में कुपोषण के शिकार हैं।
- गरीबी भुखमरी के कारण बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं और मृत्युदर अधिक है।
- आगनवाड़ी केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण सेवायें और अन्य सुविधायें ठीक ढंग से नहीं मिलती।
- स्कूलों में शौचालयों की कमी है। जहाँ शौचालय हैं भी वहां कहीं ताला लगा रहता है तो कही कामन शौचालय हैं, कहीं पानी की सुविधा नहीं है अतः लड़कियों को दिक्कत होती है।
- लड़कियों के प्रति शिक्षकों का शिक्षा ग्रहण करने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है।
- लड़कियों का ड्राप आउट रेट अधिक है।
- लड़कियों के प्रति सामाजिक ढ़ाँचा भेदभावपूर्ण है।
- ईट भट्टे में बच्चे बाल श्रमिक हैं। प्रवासन की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।
- अध्यापकों द्वारा बच्चियों के साथ यौन हिंसा

- सामाजिक नज़रिया लड़कियों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और तमाम कहावतें लड़कियों के विरोध में है।
- बच्चे अच्छे विचार दे सकते है पर अभिभावक उनके विचारों की उपेक्षा करते हैं।
- बच्चों को शिक्षा से रोका जाता है। लड़कियाँ अपने मर्जी से विषय का चयन नहीं कर पाती।
- शादी में भी लड़कियों को आजादी नही है
- सामन्तवादी व्यवस्था बुन्देलखण्ड में बहुत विकराल है। पिता का प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता। अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा नहीं माना जाता। पर्दा प्रथा/घूंघट प्रथा आज भी मौजूद है।
- बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी माँ की है। पालन–पोषण माँ की जिम्मेदारी में है। पुरूष या पिता की साझेदारी नहीं है।
- घर के/किचन के काम महिलाओं के जिम्मे है। पुरुष बैठा रहेगा पर हिस्सेदारी नहीं करते।
- महिलायें और लड़कियाँ अपने हाथ से उठाकर पानी देती हैं भाई या बाप को। अपने से नहीं लेते।
- बुन्देलखण्ड की प्रस्तुति पर डॉ. संजय ने सवाल किया कि लड़कियां घर पर सुरक्षित हैं ? जिस पर सामूहिक समझ बनी कि न घर में सुरक्षित है न बाहर ही।
- इसके बाद चित्रकूट–बाँदा आदि की कुछ घटनाओं का जिक्र प्रतिभागियेां ने किया कि नशा बहुत बड़ा कारण है यौनिक हिंसा या महिला हिंसा के पीछे। इस संदर्भ में कइ्र सवाल भी आए कि नशा करके व्यक्ति या पुरुष किसी मजबूत पर हिंसा क्यों नहीं करता? समझदारी ये बनी कि हमले हमेशा कमजोर लोगों प होते हैं। बच्चे चूंकि बहुत ही नाजुग और कमजोर होते है अतः उन पर हमले ज्यादा होते हैं और ये हमले लड़कों पर भी होते हैं।

पूर्वांचलः

पूर्वांचल समूह की प्रस्तुति श्री अवधेश जी ने किया जो निम्नानुसार थे–

उत्तर जीविता का अधिकार

- उचित देखभाल समय से न मिल पाना (गर्भवती स्त्रियों को)
- गर्भाव्स्था के दौरान, प्रसव के समय या प्रसवोपरान्त सुविधाओं और जरूरतों में पुरुष की भागीदारी न होना।
- बच्चों के जनम पंजीकरण में पुरुष की भूमिका न होना।
- डिलिवरी अभी भी घर में ही चाहते है।

विकास का अधिकार

- शारीरिक – मानसिक विकास के अवसरों में भेदभाव
- भावनात्मक विकास, शैक्षणिक या सहभागिता के अवशरों की कमी

सुरक्षा का अधिकारः

- विभिन्न प्रकार के जोखिम जैसे बाल श्रम आदि
- शोषण/शारीरिक शोषण
- बाल विवाह

सहभागिता का अधिकार

- निर्णय का अधिकार बच्चों और महिलाओं को नहीं
- निर्णय में पत्नी और बच्चों की सहभागिता न होना
- जो पिता या भाई या पुरुष की भूमिका है वह सामाजिक ताने बाने के कारण और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से दूरी बनी है।

प्रतापगढ़ – इलाहाबाद मण्डल : इस समूह की प्रस्तुति शेर बाहदुर जी ने किया –

- गर्भवती माँ के स्वास्थ्य पोषण में लापरवाहियाँ हैं।
- गर्भवती माँ को खुशनुमा माहौल न मिल पाना
- प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सेवायें न मिल पाना
- प्रसव के दौरान पुरुष की भागीदारी न हो पाना
- प्रसवोपरान्त देखभाल और पोषण की व्यवस्था में पुरुष की भूमिका न होना
- जन्म पंजीकरण में लापरवाही
- परम्पराओं और मान्यताओं की वजह से माँ और बच्चों की देखभाल में पुरुष भागीदारी नहीं करता।
- विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शौचालय सुविधाएं न होना
- शिक्षा अधिकार का पालन न होना
- बाल यौन हिंसा और शोषण समाज और परिवार दोनों मे है
- सामाजिक असुरक्षा
- बाल श्रम की स्मस्या (ईंट भट्टा, ढाबा, कबाड़ी काम, बोतल बीनना, आदि)। मनरेगा में भी बालश्रम की समस्या।
- पारिवारिक निर्णय में बच्चों और महिलाओं को भागीदार न बनाना
- घुमक्कड़ और वंचित परिवारों के बच्चों के साथ भेदभाव ज्यादा है।
- बेटियों के साथ भेदभाव ज्यादा है
- परिवार के सम्बन्धों में बच्चो से दूरी
- पारिवारिक सम्बन्धों में दूरी की वजह से बच्चे नशा, अपराध, यौन अपराध, यौन आकर्षण, कुसंग और प्रेम सम्बन्धों में फस रहे है।

पस्तुति के पश्चात सदन में सवाल उठा कि क्या यौन आकर्षण बन्द कराया जा सकता है? इस विषय पर विचार की जरूरत है। वैचारिक भागीदारी के दौरान डा. अभिजित ने कहा कि हमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं को चिन्हित करना होगा। जैसे बुन्देलखण्ड में खनन और क्रसर की वजह से बच्चों के साथ कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ हो सकती हैं वैसे ही अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियों को देखना होगा और उसके आधार पर रणनीति बनानी होगी। इसी तरह अगर घर में गरीबी का आलम गंभीर है और हम बाल अधिकारों की जद में बालश्रम के मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं तो उचित विकल्पों पर सोचना होगा।

श्री राजदेव जी ने कहा कि इन मुद्दों पर पिता के रूप में पुरुष की क्या भूमिका हो सकती है उस पर सोचने की जरूरत है।

मुद्दों को प्राथमिकीकरण के लिए हस्तक्षेप करत हुए सतीश जी ने कहा कि कुछ चीजें हमारे हस्तक्षेप से आकहर हैं। हमें सीमेंट चाहिए, हम को दवा चाहिए हम को खाद चाहिए पर उसका कारखाना कहां लगेगा इसमें बहुत विवाद हैं? तीनों क्षेत्रों मे कामन फैक्टर (उभयनिष्ठता) को देखना होगा –

- बच्चों के स्वास्थ्य के साथ माँ को और माँ के स्वास्थ्य को जोड़कर देखा गया है। इसलिए केयरिंग रोल में माँ के स्वास्थ्य को देखना होगा।
- कौन से मुद्दे पब्लिक जवाबदेही से जुडतें हैं ओर कौन से सामाजिक जवाबदेही के साथ जुड़े हैं इनको देखना होगा। पब्लिक एकाउन्टिबिलिटी में विरोध नहीं है पर सवाल यहाँ है कि बच्चों को स्कूल न जाने, बच्चियों के ड्राप आउट में सामाजिक जवाबदेही कहाँ है ? पब्लिक एकाउण्टेबिलिटी पर काम करना आसान है पर सामाजिक एकाउण्टेबिलिटी को देखना होगा। गांव में बच्चे गाली देना सीख रहे हैं, बाल यौन हिंसा और शोषण की घटनायें बढ़ रही है इन मुद्दों पर सामाजिक एकाउन्टिबिलिटी कहाँ है?
- माँ के साथ हिंसा, सम्मान, भागीदारी, निर्णय और माँ की केयर ये जगहें है जहाँ सामाजिक एकाउन्टिबिलिटी उभारने की जरूरत है।

- शिक्षा के अधिकार में
  - परिवार की भूमिका
  - सरकार की भूमिका
  - समुदाय/पंचायत की भूमिका

इन्हें देखना होगा।

- हिंसा को परिवार के अन्दर–बाहर, कारपोरल यानी अनुशासन के नाम पर दण्ड आदि मुद्दे पर काम की जरूरत है। महिलाओं के साथ अनुशासन के नाम पर हिंसा होती है जिस पर काम होने की जरुरत है।
- परिवार से स्कूल तक यौन शोषण

गरीबी पर चर्चा करते हुए डॉ. अभिजित ने कहा कि गरीबी बालश्रम के लिए कहीं पर बड़ी चुनौती हो सकती है। उसमें मौके निकालना मुश्किल हो सकता है। पिता के रूप में सकारात्मक भूमिका के लिए मौके हैं। जिनको देखना होगा। बालश्रम है पर भयंकर गरीबी है वहाँ क्या करेंगे इसको सोचना होगा।

मुद्दों के अर्न्तसम्बन्धों का उल्लेख करते हुए शिशिर ने कहा कि मुद्दे सब अन्तः सम्बधित हैं अतः अलग करके देखने से काम नहीं चलेगा। गरीबी पहले भी थी जेण्डर भेदभाव भी था। गरीबी कम हुई पर भेदभाव बढ़ गया। मेरा अपना मानना है जेण्डर इक्वीटेबल रीयरिंग गरीबी से नहीं जुड़ा है बल्कि मानशिकता से जुड़ा है।

इसी क्रम में सतीश जी ने कहा कि ये डिवेट का विषय हो सकता है। हम लोगों के काम से पुरुष–पिता के रूप में संवेदित और जिम्मेदार हो जायेंगे ये अपेक्षा है। पिता को जैविकीय पिता के रूप में नहीं पिता की भूमिका में जो हो उसकी बात कर रहे है।

बाल अधिकारों पर सघन कार्य का इतिहास है उसको अगर डाक्यूमेंट कर सकें तो आगे के कार्य को दिशा देगा। बाल अधिकारों पर हो रहे प्रयासों में हमारा काम कम्लीमेंट्री होगा परंतु प्रिवेन्टिव ज्यादा होगा।

दोपहर का भोजनावकाश

भोजनावकाश के बाद श्री वीरेन्द्र राय ने पिछले सत्र की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया। विचारों की आपसी साझेदारी से निम्नलिखित निर्णय किए गए –

राष्ट्रीय क्षमता सम्बर्द्धन कार्यक्रम (टी0ओ0टी0) दिनांक 27–29 अक्टूबर 2012 के लिए सदन ने निम्न प्रतिभागियों के नाम प्रस्तावित किए –

- राजदेव चतुर्वेदी
- नसीम अंसारी
- संतोष कुशवाहा
- डॉ. संजय सिंह
- अवधेश
- देवेन्द्र गांधी
- शेर बहादुर
- डी.एस. सिंह
- जगपाल
- आमोद महेश्वरी
- सुरेन्द्र

दिनांक 30 अक्टूबर 2012 को फोरम टू इंगेजमेन की राष्ट्रीय बैठक में भागीदारी के लिए प्रदेश से निम्न नाम तय किए गए –

- राजदेव चतुर्वेदी
- शिशिर चन्द्र

- सन्तोष कुशवाहा
- डॉ. संजय सिंह
- नसीम अंसारी

➢ यह तय किया गया कि राज्य स्तीरी क्षमता सम्वर्द्धन/दृष्टिकोण निर्माण कार्यशाला दिनांक 20–21–22 नवम्बर को आयोजित की जायेगी। जिसमें कुल 30 प्रतिभागी भागीदारी करेंगे।

➢ सामुदायिक अभियान शुरू करने की तिथि 10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस होगा।

निम्न उद्देश्यों से मैसवा जिला फोरम की बैठकें की जायेगी।

- एलाएन्स की मजबूती
- फादर्स केयरः बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिका अभियान पर साझा करना
- जिला फोरम को मजबूत करना।
- जिला फोरम के सक्रिय सदस्यों का आंकलन करना, जिले के मुद्दे तय करना और फोरम की ताकत को समझना।

अभियान का विस्तार

क्रमांक	जनपद का नाम	गांव की संख्या
1.	बांदा	25
2.	जालौन	20
3.	चित्रकूट	20
4.	हमीरपुर	35
5.	महोबा	16
7.	झांसी	20
8.	गाजीपुर	30
9.	गोरखपुर	15
10.	चन्दौली	15
11.	बस्ती	70
12.	आजमगढ़	50
13.	अम्बेडकरनगर	25
14.	मिर्जापुर	20
15.	भदोही	20
16.	जौनपुर	30
17.	प्रतापगढ़	40
18.	सुल्तानपुर	20
19.	रायबरेली	10

इस तरह अभियान 491 गाँवों में चलाया जायेगा।

अभियान के दौरान निम्न दिशा निर्देशों पर कार्य किये जायेगेः

➢ बच्चों के अधिकार संरक्षण के लिए महिलाओं/माताओं के साथ काम करना जरूरी है।

➢ सार्वजनिक जवाबदेही के साथ–साथ सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करना।

➢ शिक्षा के अधिकार के लिए कार्य करना (शिक्षा तक सभी बच्चों की गैर विभेदपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना)

- परिवार में हस्तक्षेप
- सरकारी तन्त्र में हस्तक्षेप

- समुदाय/समुदाय आधारित संस्थाओं में हस्तक्षेप के मुद्दे और रणनीति तय करना।

➢ परिवार और समुदाय में जेण्डर आधारित एवं यौन हिंसा को लेकर कार्य

➢ बाल विवाह के मुद्दे पर

➢ निर्णय में बच्चों और महिलाओं की भागीदारी

यह तय किया गया कि जिला फोरम बच्चों के अधिकार के स्तर पर रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे –

- बाल अधिकारों का वर्तमान स्तर/परिदृश्य
- विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी हस्तक्षेप
- बच्चों के अधिकार संरक्षण की दिशा में पिता की भूमिका (वर्तमान में)

यह तय किया गया कि क्षेत्रीय समन्वयक 20 अक्टूबर तक इस रिपोर्ट को तैयार कर लेगे।

कार्यक्रम के अन्त में मैसवा कोर टीम की ओर से डॉ. संजय सिंह ने प्रतिभागियेां को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए करीब 5 बजे कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की।